राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक : प.17(1)/नविवि/अभियान/2021/ जयपुर, दिनांक : 24 SEP 2021

आदेश

राज्य में चलाये जा रहे प्रशासन शहरो के संग अभियान –2021 के दौरान कार्यो की समीक्षा व बाधाओं को दूर करने व समय–समय पर मोनिटरिंग किये जाने हेतु राज्य के निम्न लिखित संभागों में उनके सामने अंकित सेवानिवृत भारतीय/राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को प्रेक्षक (Observer) के रूप में दिनांक 01.10.2021 से 31.03.2022 तक संभागवार नियुक्त किया जाता है :–

क्र.सं.	संभाग/मुख्यालय	प्रेक्षक (Observer)	पारश्रमिक, वाहन व अन्य सुविधा किसके द्वारा वहन की जायेगी (नोड़ल एजेन्सी)
1.	अजमेर	श्री कृष्णावतार त्रिवेदी RAS (Retd.) मो.नं. 98280–11804	अजमेर विकास प्राधिकरण
2.	बीकानेर	श्री मिठ्ठू सिंह, RAS (Retd.) मो. नं. 88758-30881	नगर विकास न्यास, बीकानेर
3.	भरतपुर + दौसा	श्री माताराम रिनवा RAS (Retd.) मो. नं. 94133–33370	नगर विकास न्यास, भरतपुर
4.	जयपुर (दौसा को छोड़कर)	श्री एन.पी.शर्मा RAS (Retd.) मो.नं 9414150948	जयपुर विकास प्राधिकरण
5.	जोधपुर	श्री श्याम सिंह राजपुरोहित IAS (Retd.) मो. नं. 98290–62639/94144–87639	जोधपुर विकास प्राधिकरण
6.	कोटा	श्री आर.डी. मीणा RAS (Retd.) - III मो. नं. 9460238005	नगर विकास न्यास, कोटा
7.	उदयपुर	श्री आर.पी. शर्मा RAS (Retd.) मो. नं. 94143–04593	नगर विकास न्यास, अलवर

1. प्रभारी अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित कार्य सम्पादित किये जायेंगें :–
   - अभियान के दौरान किये जाने वाले कार्यो की सूची प्राप्त करेगें तथा इस संबंध में जारी सभी नियमों/ आदेशों/परिपत्रों का अध्ययन करेगें।
   - ऑनलाईन पोर्टल www.shahar2021.rajasthan.gov.in पर की गई व्यवस्था के संबंध में पूर्ण जानकारी प्राप्त करेगें तथा नगर निकायों द्वारा इसका उपयोग सुनिश्चित करेंगे।
   - ऑनलाईन पोर्टल पर विभिन्न आवेदन पत्रों को अपलोड़ करने में आवेदको को यदि कठिनाई आ रही हो तो ई–मित्र, नगर मित्र, अन्य व्यक्ति की मदद बाबत स्थिति स्पष्ट करेंगे।
   - नागरिकों की सहायतार्थ प्रत्येक नगर निकाय में हैल्प–डेस्क की व्यवस्था।
   - प्रत्येक शहर के लिये "नगर मित्र" नियुक्त किये गये हैं जो नागरिकों को तयशुदा फीस लेकर तकनीकी सहायता प्रदान करेंगे। नगर मित्रों द्वारा अपना कार्य प्रारम्भ किया जाना सुनिश्चित करेंगे।
   - सभी अधिकारी उनको आवंटित क्षेत्र की नगर निकायों द्वारा लगाये जाने वाले शिविरों का सप्ताह में 5 दिन निरीक्षण करेगें तथा सुनिश्चित करेंगे कि सभी कार्य तत्परता से किये जावेंगे। शिविरों में उपस्थित नागरिको से भी प्रतिक्रिया (feedback) प्राप्त करेंगे। यदि कार्य में कोई कठिनाई/बाधा महसूस हो रही हो तो उनको उचित मार्गदर्शन देंगें तथा राज्य स्तरीय अधिकारियों से भी मार्गदर्शन प्राप्त करेंगे।

Scanned with CamScanner

- यह भी सुनिश्चित किया जावेगा कि नगर निकाय द्वारा शिविर का स्थानीय स्तर पर प्रचार/प्रसार किया जा रहा है तथा शिविरों में कोविड–19 के मद्देनजर आवश्यक प्रबंधन किये जा रहे है।
- आम नागरिकों की मदद के लिये राज्य स्तर पर एक हैल्प–डेस्क भी स्थापित किया गया है, जिसको नागरिकों द्वारा जानकारी प्राप्त करने हेतु उपयोग में लिया जा सकता है। (टोल फ्री–नम्बर 1800–180–6127)
- प्रगति रिपोर्ट भेजने के लिये एक प्रफॉर्मा तैयार किया गया है। जिसे अधिकारियों द्वारा प्रत्येक सप्ताह में शुक्रवार सांय तक अपनी रिपोर्ट के साथ भेजेंगे।
- संभाग में संबन्धित उप निदेशक स्थानीय निकाय/वरिष्ठ नगर नियोजक व राजस्व अधिकारियों से भी लगातार सम्पर्क रखते हुए उनको निकाय के लिये सहयोग सुनिश्चित करेंगे।

2. प्रेक्षकों (Observer) का यह दायित्व होगा कि वे अभियान के दौरान राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कार्यवाही का समयबद्ध व चरणबद्ध तरीके से सम्पादित करवाने में अपना पूर्ण सहयोग देते हुए समन्वय का कार्य करेंगे। राज्य सरकार द्वारा अभियान के दौरान समय–समय पर जारी आदेश, परिपत्रों, निर्देशों से अद्यतन रहेंगे।
3. सभी अधिकारियों को स्वायत्त शासन विभाग द्वारा अभियान संबंधी पुस्तिका (Booklet) आदि उपलब्ध करवाई जावेगी। उनके द्वारा नगर नियोजन कार्यालय, जयपुर में दिनांक 28.09.2021 को दोपहर 03:00 बजे Orientition Programme में भाग लिया जायेगा।
4. राजस्थान प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत) अधिकारियों को 40,000/– प्रति माह व भारतीय प्रशासनिक सेवा (सेवानिवृत) अधिकारियों को 50,000/– प्रति माह समेकित मानदेय (consolidated remuneration) दिया जावेगा।
5. सभी नोड़ल एजेन्सियों द्वारा अधिकारियों के लिये उचित वाहन व्यवस्था तथा उनके भ्रमण के दौरान यदि रात्रि विश्राम करना पड़ता है, तो उनके लिये उचित व्यवस्था की जावेगी।

इनके द्वारा समय–समय पर की गई कार्यवाही से राज्य सरकार के सलाहकार प्रकोष्ठ, जो कि नगर नियोजन भवन में स्थापित किया गया है, को अवगत करायेंगे। श्री गिरिराज अग्रवाल, विशेषाधिकारी, सलाहकार, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग को नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है ताकि कार्यों की मोनिटरिंग नियमित रूप से हो सके। विशेषाधिकारी प्रगति विवरण संकलित कर मुख्यमंत्री कार्यालय, कार्यालय मंत्री, नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग, सलाहकार, प्रमुख शासन सचिव एवं सचिव स्वायत्त शासन विभाग को अवगत करवाते रहेंगे।

आज्ञा से,

(मनीष गोयल)
संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
2. विशिष्ट सहायक, सलाहकार, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग।
3. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, जयपुर।
4. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान, जयपुर।
5. संयुक्त शासन सचिव, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, नगरीय विकास विभाग
6. निदेशक, स्थानीय निकाय विभाग, राजस्थान, जयपुर।
7. समस्त संबंधित श्री ....
8. वरिष्ठ संयुक्त विधि परामर्शी/उप विधि परामर्शी, नविवि।
9. उप नगर नियोजक, नविवि।
10. वरिष्ठ उप शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड हेतु।
11. गार्ड फाईल।

संयुक्त शासन सचिव–प्रथम

Scanned with CamScanner